



2026:AHC:178934

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 12326/2026

जय प्रकाश यादव और एक अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: एम.जेड. होदा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, शिव कुमार

न्यायालय संख्या - 80

माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला

1. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एम.जेड. होदा, विपक्षी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शिव कुमार तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदकगण द्वारा इस प्रार्थना के साथ दायर किया गया है कि आपराधिक वाद संख्या 1417/2015 (राज्य बनाम जय प्रकाश यादव व अन्य) की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाहियों को, तथा दिनांक 02.07.2013 के आक्षेपित आरोप-पत्र संख्या 175/2013 को, दिनांक 01.10.2014 के संज्ञान/समन आदेश सहित, जो मुकदमा अपराध संख्या 263/2013, भा.द.सं. की धारा 407, 427, 120 बी के अंतर्गत (थाना अलीनगर, जिला चंदौली) से उद्भूत है तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंदौली के न्यायालय में लंबित है, खारिज किया जाए।
3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकार समझौते के सत्यापन हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। उक्त समझौते का सम्यक् सत्यापन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया है तथा प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंदौली द्वारा दिनांक 12.05.2026 को आख्या अग्रेषित की गई।

4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान विवाद आवेदकगण और विपक्षी संख्या 2 के मध्य व्यक्तिगत मनमुटाव से उद्भूत होता है। यह भी तर्क दिया गया है कि विपक्षी संख्या 2 संबंधित न्यायालय में लंबित वाद को बढ़ाने में रुचि नहीं रखता है और, अतः, आक्षेपित कार्यवाहियों को पक्षकारों के मध्य समझौते के आधार पर खारिज किया जाए तथा वे प्रतिशपथ-पत्र और प्रत्युत्तर शपथ-पत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं।

5. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार करते हैं तथा कहते हैं कि यदि आवेदकगण के विरुद्ध लंबित आक्षेपित कार्यवाही खारिज की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता भी दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरणों की शुद्धता पर विवाद नहीं करते हैं।

7. पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर किसी वाद को खारिज करने के संबंध में विधि सुस्थापित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जान सिंह बनाम पंजाब राज्य तथा अन्य, (2012) 10 एससीसी 303** में अपने संवैधानिक पीठ के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि *“किंतु जो आपराधिक वाद अत्यधिक और प्रमुखतः सिविल स्वरूप के हैं, वे अभिखंडन के प्रयोजनों के लिए भिन्न आधार पर खड़े हैं, विशेष रूप से वे अपराध जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, भागीदारी या ऐसे ही संव्यवहारों से उद्भूत होते हैं अथवा दहेज आदि से संबंधित वैवाहिक वादों से उद्भूत अपराध या पारिवारिक विवाद, जहां क्षति मूलतः निजी या व्यक्तिगत प्रकृति की है और पक्षकारों ने अपना संपूर्ण विवाद सुलझा लिया है। इस श्रेणी के वादों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाहियों को खारिज कर सकता है, यदि उसकी दृष्टि में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और क्षीण है तथा आपराधिक वाद की निरंतरता अभियुक्त को अत्यधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह में डालेगी तथा पीड़ित के साथ पूर्ण और संपूर्ण परिनिर्धारण एवं समझौते के होते हुए भी आपराधिक वाद को खारिज न करने से उसके साथ नितांत अन्याय होगा।”*

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई कर्मुर तथा अन्य बनाम गुजरात राज्य तथा अन्य, (2017) 9 एससीसी 641** में अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग में आपराधिक कार्यवाहियों को खारिज करने के व्यापक सिद्धांत इस आधार पर प्रतिपादित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किए हैं कि “अशमनीय वादों में भी, समझौते के आधार पर, आपराधिक कार्यवाहियों को खारिज किया जा सकता है, जिससे न्यायालय का बहुमूल्य समय बचाया जा सके और अन्य सारवान् वादों में उपयोग किया जा सके।”

9. दोनों पक्षकार संबंधित न्यायालय में उनके मध्य लंबित कार्यवाहियों को वापस लेने हेतु पर सहमत हो गए हैं। अभिलेखों के अवलोकन तथा उपर्युक्त उद्धृत विधि से, वर्तमान वाद न्यायालय द्वारा समन आदेश तथा संपूर्ण कार्यवाहियों को खारिज करने की शक्ति के प्रयोग हेतु एक उचित वाद है।

10. विवाद पूर्णतः व्यक्तिगत प्रकृति का प्रतीत होता है जो पक्षकारों के मध्य उनकी संपूर्ण संतुष्टि तक परस्पर समझौता हो गया है, अतः अभियोजन को आगे जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

11. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दायर खारिज करने हेतु वर्तमान आवेदन उन प्राचलों के भीतर आता है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य, आपराधिक अपील संख्या 3831/2025, एस.एल.पी. (क्रि.) संख्या 11642/2019, दिनांक 02.09.2025** में प्रतिपादित किए गए हैं।

12. उपरोक्त के दृष्टिगत, आपराधिक वाद संख्या 1417/2015 (राज्य बनाम जय प्रकाश यादव व अन्य) की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाहियां, तथा दिनांक 02.07.2013 के आक्षेपित आरोप-पत्र संख्या 175/2013, दिनांक 01.10.2014 के संज्ञान/समन आदेश सहित, जो मुकदमा अपराध संख्या 263/2013, भा.द.सं. की धारा 407, 427, 120 बी के अंतर्गत (थाना अलीनगर, जिला चंदौली) से उद्भूत हुआ है तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंदौली के न्यायालय में लंबित है, एतद्वारा खारिज की जाती हैं।

13. वर्तमान आवेदन, तदनुसार, **स्वीकार** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला)

24 अगस्त, 2026

आदित्य त्रिपाठी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।